101

सं0 1549 / IV(2)श0वि0–2013–80(सा0) / 10

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग–2: देहरादून, दिनांक– 04 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2013

विषय : **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में कुल **₹ 482.39 लाख (₹ चार करोड़ बयासी लाख उन्तालीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना हेतु स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष देय 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में **₹ 53.60 लाख (₹ त्रैप्पन लाख साठ हजार मात्र)** को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार तथा शासन द्वारा निहित शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

(ii) उक्त अनुदान का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमा तक व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रांश तथा उस पर अनुमन्य अनुपातिक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(iv) व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल / उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसके क्रय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश, मितव्ययिता के विषय में शासन के आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(v) प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(vi) इस धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2014 तक अवश्य कर लिया जाय। उसके प्रथम त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार व शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिये जायें। एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद अप्रयुक्त धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त

शासन को समर्पित करनी होगी। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आंगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(vii) योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व निकायों से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा ताकि एक कार्य हेतु दो निधि से धनराशि अवमुक्त न हो।

(viii) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कर लेंगे।

(ix) अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि की मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा भौतिक प्रगति विवरण समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ तथा शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि अनुदान संख्या–13 की प्रगति आख्या के अतिरिक्त होगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या–13,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे ₹ 42.35 लाख, **अनुदान सं0–30,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03 आयोजनागत–191 –स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायता अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें ₹ 9.65 लाख तथा **अनुदान संख्या–31** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायता अनुदान/अंशदान/राजसहायक के नामे ₹ 1.60 लाख डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0: 543/XXVII(2)/2013 , दिनांक– 14 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

सं0 1549 (1)/IV(2)-श0वि0–2013,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, ई0एम0पी0ए0, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– निदेशक, स्थानीय निधि, कोषागार, डालनवाला, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून/समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से
(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।